<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर</u>

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—483/2015/225 (2015/00338)

1. राजू दत्तक पुत्र लादू, जाति जाट, निवासी ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गजमल पुत्र रामा, जाति जाट, निवासी ग्राम देराठू, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती कंचन पुत्री लादू पत्नी रामधन, जाति जाट, हाल निवासी ग्राम लोहरवाडा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती हंजा पुत्री लादू पत्नी तेजू, जाति जाट, हाल निवासी केरिया कला तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती तीजा पुत्री लादू पत्नी मंजी, जाति जाट, हाल निवासी सराधना, उप—तहसील सराधना, जिला अजमेर ।
5. शम्मा पुत्री लादू पत्नी गोरधन, जाति जाट, हाल निवासी नान्दला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये कार्यालय तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला जयपुर दिनांक 16.11.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 49/2012.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनपुस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 29.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 16.11.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत एवं प्रकरण संख्या 49/2012 अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 ग्राम देराठू, तहसील नसीराबाद स्थिति भूमि के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है । उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में अपीलांट/प्रतिवादी के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उनके अधिवक्ता के जरिये दिनांक 16.11.2015 को वकालतनामा पेश किया

परन्तु प्रकरण में आवाज के समय अन्य न्यायालय के समक्ष व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके, जबकि आवाज के समय मुंशी उपस्थित थे तथा मुंशी ने कथन किया कि वकील साहब अन्य न्यायालय में व्यस्त है किन्तु इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 के द्वारा दिनांक 16.11.2016 को अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम एवं प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण जो कि तलबी हेतु नियत था तथा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट को तारीख पेशी दिनांक 16.11.2015 के नोटिस प्राप्त होने पर उसके द्वारा जरिये अधिवक्ता अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 16.11.2015 को ही वकालतनामा पेश कर दिया गया था परन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में आवाज के समय अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके बल्कि मुंशी अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित था, इसके बावजूद अधी0न्याया0 के द्वारा प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिया गये जो विधि विरूद्ध है। बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट का हित निहित है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाने से अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा सुनवाई से वंचित हो गया है जिसे न्यायोचित नहीं माना जा सकात है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलांट को अपने हितों की रक्षा हेतु साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई से वंचित कर दिया जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अधी0न्याया0 को यह निर्देश दिये जावे कि प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी को भी जवाब, साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जावे एवं प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 5 ने मूल वाद में अधिवक्ता के प्रतिनिधि/मुंशी द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 का वकालतनामा पेश किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 5 एवं उसके अधिवक्ता उपस्थित अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं होने पर अधी0न्याया0 ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 23.5.2012 को पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश पारित किये तथा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.6.2012 नियत की गई । इसके उपरांत पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी नहीं होने तथा

अन्य कारणों से सील लगाकर तारीख पेशियां तब्दील की जाती रही है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 2.3.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तिथि को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी ने उपस्थिति दी तथा अधिवक्ता श्री महावीर टांक ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया । पत्रावली अप्रार्थी संख्या 5 के नोटिस पुनः पेश होने पर जारी होकर मिसल वास्ते जवाब बहस प्रार्थना पत्र व इंतजार नोटिस दिनांक 9.3.2015 को नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 8.10.2015 को अप्रार्थी संख्या 5 के नोटिस अखबार में साया करने के आदेश दिये गये । दिनांक 16.11.2015 की आदेशिका के अनुसार उक्त तिथि को वकील श्री नौरतमल जैन के प्रतिनिधि/मुंशी द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 का वकालतनामा मूल वाद में पेश किया गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 5 व उनके अधिवक्ता अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं । प्रतिनिधि द्वारा ब्रीफ पेश नहीं किया जिस पर अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये है । इस संबंध में वकील अपीलांट का कथन रहा है कि विवादित आराजियात में अपीलांट के हित निहित है जिसे साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई के अवसर से वंचित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । हम अपीलांट के इस कथन से सहमत है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित है किन्तु किसी भी पक्षकार को प्रतिरक्षा का अवसर दिये बिना प्रकरण को निर्णित किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को उसके अधिकारों की प्रतिरक्षा हेतु साक्ष्य, सबूत, जवाब एवं सुनवाई से वंचित कर दिया जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2015 निरस्त किया जाता है कि तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर